

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
—::— आ दे श —::—

क्रमांक ए/3687 /
पांच-3-12/57 (भाग-आवंटन)

जबलपुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019

श्रीमती विजया पटेरिया (दुबे), ज्युनियर ज्युडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर, के द्वारा रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक ए/2613/पांच-3-12/57 भाग-नौ (आवंटन) दिनांक 19 अगस्त, 2019 के तहत आवंटित शासकीय आवासगृह क्रमांक "एच-08", शंकर शाह नगर, जबलपुर, का आधिपत्य प्राप्त करने में असमर्थता व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त आदेश को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार^{०९.१२.१९}
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंचना)

क्रमांक ए/3688 /
पांच-3-12/57 (भाग-आवंटन)

जबलपुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019

प्रतिलिपि :-

- 1/ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), संभाग क्रमांक 2, जबलपुर,
- 2/ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि/या.), जबलपुर,
- 3/ उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), शंकर शाह नगर सेक्षन, जबलपुर,
- 4/ उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग (वि./या.), कटंगा सेक्षन, जबलपुर,
- 5/ अनुभाग अधिकारी (लेखा/स्थापना/पेन्शन), उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर,
- 6/ सहायक (कार्य/वेतनपत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश), उच्च न्यायालय, म0प्र0,
जबलपुर,
- 7/ श्रीमती विजया पटेरिया (दुबे), ज्युनियर ज्युडीशियल असिस्टेंट उच्च न्यायालय, म0प्र0,
जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

^{०९.१२.१९}
(सनत कुमार कश्यप)
रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंचना)